

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 मई 2023—वैशाख 18, शक 1945

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मई 2023

क्र. एफ-22-71-2021/आठ.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2023 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-22-71-2021-आठ, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सूची में, सरल क्रमांक 18, 19 एवं 20 में, शब्द "पुलिस विभाग की यातायात शाखा" के स्थान पर, शब्द "राज्य में पुलिस थानों एवं यातायात पुलिस थानों" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सिबि चक्रवर्ती, अपर सचिव.

Bhopal, the 8th May 2023

No. F 22-71-2021-VIII .-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the State Government, hereby, makes, the following amendment in this department's Notification No. F 22-71-2021-VIII, published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 6th March, 2023 namely :-

AMENDMENT

In the said notification in the list, in serial number 18, 19 and 20 for the words "Traffic branch of Police Department", the words "Police Station and Traffic Police Station in the State" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SIBI CHAKKRAVARTHY, Addl. Secy.